न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 132 — दिनांक – 18/1/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जतनो पत्नी बालीया 2 गुलाब पुत्र बालीया 3 खेता पुत्र खंगारा जाति भील निवासी सोढों की बस्ती जूना पतरासर तहसील व जिला बाडमेर।		1 गोमा पुत्र बीजला 2 जवाराम पुत्र पता के कायम मुकाम 2/1 जोगाराम 2/2 देदाराम 2/3 जेठाराम 2/4 ताजाराम पिसरान जवारा 3 कुम्पा पुत्र पता 4 उतमा पुत्र पांचा जाति रबारी 5 नीम्बसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत निवासी सोढों की बस्ती, जूना पतरासर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 12/1/2023

राजस्व आवेदन संख्या :– 88/2020

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा सोढों की बस्ती पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 110 रकबा 77.12 बीघा भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 12/1/2023

क्रमांक :– रीडर/2023/ 133-136

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जतनो पत्नी बालीया वगैराह जाति भील निवासी सोढों की बस्ती जूना पतरासर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गोमा पुत्र बीजला वगैराह जाति रबारी निवासी सोढों की बस्ती जूना पतरासर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.07.06 17:54:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर